भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 439

24 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

भांडागारों की क्षमता

439. श्री प्रवीण पटेल:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री नरेश गणपत म्हस्के:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में भांडागारों की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रही है और देश में सबसे पहले महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कुछ चयनित जिलों में इसे लागू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य में किसी जिले को इस उद्देश्य के लिए चुना गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए निर्धारित निधियां और राज्यों को अब तक जारी की गई निधियां कितनी है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (घ): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में भंडारण क्षमता की आवश्यकता खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के लिए खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) प्रचालनों पर निर्भर करती है। भारतीय खाद्य निगम भंडारण क्षमता का लगातार आकलन और निगरानी करती है तथा भंडारण अंतराल आकलन के आधार पर, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित अखिल भारत स्तर पर निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भंडारण क्षमताएं सृजित/किराए पर ली जाती हैं:-

1. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत साइलोज़ का निर्माण।
2. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना।
3. केंद्रीय क्षेत्र की योजना "भंडारण एवं गोदाम"।

.....2/-

4. केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना।
5. निजी वेयरहाउसिंग योजना (पीडब्ल्यूएस)।
6. परिसंपत्ति मौद्रीकरण के तहत गोदामों का निर्माण।

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति, पीईजी योजना और परिसंपत्ति मौद्रीकरण के अंतर्गत साइलोज़ के निर्माण की योजनाओं के तहत परिकल्पित नई भंडारण क्षमताओं का विवरण संलग्न है।

इन स्कीमों के तहत पूंजी निवेश पर व्यय का वहन भारतीय खाद्य निगम द्वारा नहीं किया जाता है। निर्माण की लागत का वहन निजी पार्टियों द्वारा किया जाता है।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 24.07.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 439 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित अनुबंध

(I) उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में निर्माणाधीन साइलोज़ का जिला-वार विवरण:-

क्र. सं.	राज्य	जिला का नाम	एजेंसी	क्षमता (टन में)
1	उत्तर प्रदेश	बस्ती	एफसीआई	50000
2		फतेहपुर	एफसीआई	50000
3		गोरखपुर	एफसीआई	50000
4		लखनऊ	एफसीआई	50000
5		हमीरपुर	राज्य सरकार	50000
6		पीलीभीत	राज्य सरकार	50000
7		ललितपुर	राज्य सरकार	50000
8		हरदुआगंज	एफसीआई	50000
9		सीतापुर	एफसीआई	25000
10		लखीमपुर	एफसीआई	50000
11		बहराईच	एफसीआई	25000
12		सुल्तानपुर	एफसीआई	25000
13		अमेठी	एफसीआई	25000
14		औरैया	एफसीआई	25000
15		बलरामपुर	एफसीआई	25000
16		कानपुर देहात	एफसीआई	25000
17		अम्बेडकर नगर	एफसीआई	25000
18		फर्रुखाबाद	एफसीआई	25000
19		रायबरेली	एफसीआई	25000
20		श्रावस्ती	एफसीआई	25000
21		सम्भल	एफसीआई	25000
22		बदायूं	एफसीआई	25000
23		उन्नाव	एफसीआई	25000
24		गोंडा	एफसीआई	100000
25		कानपुर नगर (चंदारी)	एफसीआई	125000
26		बुलंदशहर (खुर्जा)	एफसीआई	50000
27		रामपुर (धमोरा)	एफसीआई	25000
28		बुलंदशहर (लालपुर)	एफसीआई	100000
29		शाहजहांपुर (रोजा)	एफसीआई	50000
30		हरदोई (संडीला)	एफसीआई	75000
31	महाराष्ट्र	मुंबई उपनगर (एफएसडी बोरीवली)	एफसीआई	125000

(II) पीईजी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आगामी क्षमताओं को दर्शाने वाला विवरण:-

क्र. सं.	राजस्व जिले का नाम	आगामी क्षमताएं	
		निर्माणाधीन	संविदा पर दिया गया परंतु निर्माण कार्य अभी भी प्रारंभ होना शेष
1	कांशीराम नगर (कासगंज)	0.25	0
2	बांदा	0.05	0
3	सुल्तानपुर	0.15	0
4	महाराजगंज	0	0.15
5	कानपुर देहात	0.20	0
6	बिजनौर	0.30	0
7	प्रबुद्धनगर (शामली)	0.20	0
8	चंदौली	0.25	0.05
9	गाजीपुर	0.1333	0
	कुल	1.5333	0.20

(III) उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना का विवरण:-

क्र.सं.	राज्य	एफसीआई डिपो/स्थान	अनुमोदित/निर्माणाधीन क्षमता (टन में)
1	उत्तर प्रदेश	महोबा	6680
2		बस्ती	8340
3		बाराबंकी	20590
4		रायबरेली	11680
5		ओरई	4170
6		व्यासनगर	1670
7	महाराष्ट्र	एफएसडी भिवंडी	5000

******